न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

विमला देवी बनाम हेमन्त आदि

...स मुकदमा– आ0 पत्र अ0धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0 62 वर्ष 2024

दिनांक	आज्ञा पत्र
29.08.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष के निवेदन पर मूल वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से विभाजन प्रस्ताव चाहे गये है। वकील उभय पक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट में मूल वाद के निस्तारण तक टी0आई0 कंफर्म करने हेतु निवेदन किया गया। हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.24 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर ग्राम मंढा प0ह0 मंढा मदनी तहसील दांतारामगढ़,सीकर में कृषि भूमि ख0नं0 1859, 1960, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973/2206 कुल किता 12 कुल रकबा 2.5400 है0 व कृषि भूमि ख0नं0 1931, 1966, 1973, 2007/2245, 2008 कुल किता 5 कुल रकबा 6.94 है0 व कृषि भूमि ख0नं0 1966/2205 रकबा 2.1100 है0 में विवादित आराजियात के बेचान से बाज रहने एंव रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पावन्द किया गया था। चूंकि मूल वाद में वकील उभय पक्ष के निवेदन पर वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से विभाजन प्रस्ताव चाहे गये है। वकील उभय पक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट में मूल वाद के निस्तारण तक टी0आई0 कंफर्म करने हेतु निवेदन किया गया। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम मंढा प0ह0 मंढा मदनी तहसील दांतारामगढ़,सीकर में कृषि भूमि ख0नं0 1859, 1960, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973/2206 कुल किता 12 कुल रकबा 2.5400 है0 व कृषि भूमि ख0नं0 1931, 1966, 1973, 2007/2245, 2008 कुल किता 5 कुल रकबा 6.94 है0 व कृषि भूमि ख0नं0 1966/2205 रकबा 2.1100 है0 में मूल वाद के निस्तारण तक मौका एंव वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से क़म हो। सहायक कलक्टर (मु0)सीकर